COURSE-6

राज्य का शिक्षा से सम्बन्ध
(Relation of State to Education)

शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से समाज में रहने वाले मानव से सम्बन्धित है। इसलिए यह उस समाज से प्रभावित होती है जिसमें मनुष्य निवास करता है। अरस्तू ने इस बात पर बल दिया था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी (Creature) है जो समुदायों में निवास करता है। इन समुदायों में विशेष प्रकार की शासन-प्रणाली (Government), संस्थाएँ (Institutions) संगठन होते हैं। किसी समाज या समुदाय में जीवन विशेष आदर्शों या मान्यताओं, शासन या सरकार तथा संस्थाओं के अभाव में सम्भव नहीं है। अतः ये संस्थाएँ शिक्षा को प्रभावित किये बिना नहीं रह पाती हैं। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि राज्य या राज्य की विभिन्न संस्थाएँ शिक्षा को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती रहती हैं।

स्वतः प्रश्न उठता है कि यह सम्बन्ध किस प्रकार का हो? इसका उत्तर मालूम करने के लिए हमें शासन-प्रणालियों के स्वरूप को देखना पड़ेगा। अरस्तू ने राजनीति को राजनैतिक सत्ता को ग्रहण करने वाले में केन्द्रित किया है, चाहे वह एक व्यक्ति में निहित हो या कुछ व्यक्तियों के समूह में या बहुत-से व्यक्तियों में। प्लेटो ने अपने महान ग्रन्थ (Republic) में इस बात पर बल दिया था कि उचित शिक्षा राज्य पर निर्भर है और एक उपयुक्त राज्य की स्थापना उचित प्रकार की शिक्षा द्वारा हो सकती है। इस कारण उसने दार्शनिक शासक की कल्पना की। साथ ही उसने दार्शनिक शासक की शिक्षा को सिपाही तथा उत्पादकों की शिक्षा से भिन्न प्रतिपादित किया। उसका शिष्य अरस्तू उससे एक कदम आगे गया। उसने प्रतिपादित किया कि सभी मानव-प्राणी राज्य से सम्बन्धित हैं और प्रत्येक मनुष्य राज्य का एक अंग है। अतः सभी मनुष्यों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा तथा राज्य या राजनीति घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार यह सर्वमान्य सत्य है कि राजनीति और शिक्षा का एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

राज्य के शैक्षिक कार्य अथवा राज्य : शिक्षा के अभिकरण के रूप में
(Educational Functions of State or State : As an Agency of Education)

(1) विद्यालयों तथा औपचारिकेतर शिक्षा-केन्द्रों की व्यवस्था (Provision of Schools and Non-formal Education)—राज्य को विभिन्न स्थानों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रकार के विद्यालयों प्राथमिक, टेक्नीकल आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये विद्यालय ऐसे सामंजस्य से कार्य करें कि प्रयास का अपव्यय न हो। यदि सरकार किन्हीं परिस्थितियों में सभी के लिए सभी प्रकार के विद्यालय स्थापित न कर सकें तो सभी को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने के लिए औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करके वह आज की बढ़ती हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है।

Scanned with CamScanner

(2) निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना (Making Education Compulsory up to a Certain Stage)—राज्य को एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना और अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य करना चाहिए, तभी वे निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

(3) शिक्षा के व्यय को पूरा करने के उपाय ढूँढ़ना (Determining How to Meet the Cost of Education)—यह निश्चित करना कि बच्चों की शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए कौन-से उपाय हो सकते हैं, राज्य का कार्य है। इस बारे में अनेक विचार व्यक्त किये गए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा के व्यय का अधिकांश भाग अभिभावकों से लिया जाए। ऐसा न करने से उनके शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं रह जाता है, उदाहरणार्थ—निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर राज्य को अति विशाल धनराशि व्यय करनी पड़ती है। फिर भी ऐसे अनेक अभिभावक हैं जिनके लिए उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। इतने पर भी अधिकांश सभ्य देशों ने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का सब भार अपने ऊपर लिया है।

(4) विद्यालय पद्धति पर सामान्य नियन्त्रण व उसका निर्देशन (General Control and Direction of the School System)—राज्य को विद्यालय-पद्धति पर सामान्य नियन्त्रण रखना चाहिए और उनका निर्देशन भी करना चाहिए। राज्य को पाठ्यक्रम के विषय शिक्षकों और समुदाय की सलाह से चुनने चाहिए। जहाँ तक शिक्षण-विधियों की बात है, उनमें शिक्षकों को पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य को तो सिर्फ यह करना चाहिए कि वह सर्वोत्तम विधियों पर सूचनाएँ प्राप्त करें और उनको विद्यालय को भेज दें।

(5) योग्य शिक्षकों की व्यवस्था (Provision for Efficient Teachers)—विद्यालय के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना राज्य का सबसे आवश्यक कार्य है। शिक्षा की सब सुविधाएँ होते हुए भी यदि शिक्षक अयोग्य है, तो सब कुछ व्यर्थ हो जायेगा। विद्यालय बनाना, उनको छात्रों से भरना, उनके निरीक्षण का उत्तम प्रबन्ध करना, ये सभी बातें अच्छी है। पर हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सब में शिक्षक ही प्राण फूँकता है। अतः ज्ञान, कुशलता और सहानुभूति से पूर्ण शिक्षकों को चुनना राज्य का सबसे प्रमुख कार्य है।

(6) बालकों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को प्रेरणा (Encouragement to Guardians for Children's Education)—भारत जैसे देश में जहाँ अधिकांश अभिभावक अशिक्षित हैं, आवश्यक है कि सरकार उनको अपने बालकों की शिक्षा के लिए प्रेरणा दे। इसका कारण यह है अशिक्षित अभिभावक शिक्षा के महत्त्व को नहीं समझते हैं। उनका विचार है कि शिक्षा में समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। इसलिए वे यह अधिक अच्छा समझते हैं कि बालक स्कूल जाने के बजाय या तो कोई काम करें, या उनके कार्य में सहयोग दें। इससे उनकी आर्थिक समस्या का भी थोड़ा-बहुत समाधान हो जाता है। अभिभावकों के इस दृष्टिकोण को बदला जाना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब सरकार किसी प्रकार के प्रचार द्वारा उनको प्रेरणा दे कि वे अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में भेजें।

(7) शिक्षा संस्थाओं में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था (Provision for Military Education in Educational Institutions)—आज के संघर्षपूर्ण युग में राष्ट्र के जीवन के लिए आवश्यक है उसके सभी नागरिकों को थोड़ी बहुत सैनिक शिक्षा अवश्य प्राप्त हो। ऐसी शिक्षा प्राप्त नवयुवक संकट के समय अपने देश की रक्षा का काम कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, भारत को ही ले लीजिए। उसके दो पड़ोसी राज्य चीन और पाकिस्तान उस पर बहुत समय से आँख लगाए हुए हैं और आक्रमण भी कर चुके हैं। ऐसे आक्रमणों का मुँहतोड़ जवाब तभी दिया जा सकता है, जब देश का हर एक सैनिक शिक्षा द्वारा इतना तैयार कर दिया जाए कि वह अपने गाँव, अपने नगर और इस प्रकार अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रख सके। आज सभी पाश्चात्य देशों की शिक्षा-संस्थाओं में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था है।

Scanned with CamScanner

(8) शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन (Encouragement to Educational Research)—वर्तमान युग में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया है। पुराने विचार समाप्त होते जा रहे हैं। पुरानी धारणाओं का महत्त्व कम होता जा रहा है। उदाहरणार्थ—संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतने शैक्षणिक अनुसंधान किये हैं कि उसके फलस्वरूप उस देश में शिक्षा की काया ही पलट गयी है। ऐसा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि पुराने आदर्श, पुरानी मान्यताएँ, पुरानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्पनाएँ, अनीति के गर्व में समाती जा रही हैं। आज की नई व्यवस्था में शिक्षा के नए आदर्श और नए उद्देश्य होने आवश्यक हैं। अतः राज्य का कर्त्तव्य है कि वह अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु इन आदर्शों और उद्देश्यों का निर्माण करे। ऐसा तभी हो सकता है, जब वह शैक्षणिक अनुसंधान को प्रोत्साहन दे।

(9) परिवार व विद्यालय को निकट-सम्पर्क में लाना (Bringing the Home and the School in Close Contact)—बालक की शिक्षा में विद्यालय का स्थान महत्त्वपूर्ण माना गया है पर इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान घर या परिवार का है। बालक कैसे परिवार से आया है, उसके परिवार के सदस्यों का दृष्टिकोण क्या है, उनकी संस्कृति, रहन-सहन, आचार-विचार कैसे हैं, शिक्षक के लिए इन सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। बालक के पारिवारिक इतिहास और पृष्ठभूमि को जानकर ही शिक्षक उसकी रुचियों और आवश्यकताओं को समझ सकेगा और तभी वह उसे उचित प्रकार की शिक्षा दे सकेगा। ऐसा न होने से वह अपनी कक्षा के सब छात्रों को एक ही डण्डे से हाँकता रहेगा, जिसका परिणाम अच्छा निकलना असम्भव है। अतः आवश्यक है कि राज्य द्वारा किसी ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए, तो शिक्षकों और अभिभावकों को एक-दूसरे के निकट-सम्पर्क में लाएँ। इस सम्पर्क द्वारा ही शिक्षकों को अपने छात्रों का पूर्ण ज्ञान हो सकता है और इस ज्ञान पर उनकी शिक्षा को आधारित करके शिक्षक अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं।

(10) नागरिकता का प्रशिक्षण (Training in Citizenship)—अच्छे नागरिक राज्य के दृढ़ स्तम्भ हैं। ऐसे नागरिकों का निर्माण नागरिकता के प्रशिक्षण द्वारा ही सम्भव है। इस प्रशिक्षण के निम्नलिखित चार पहलू हैं—

(i) **आर्थिक प्रशिक्षण** (Economic Training)—कोई भी राज्य नागरिकों को आर्थिक प्रशिक्षण दिये बिना उन्नति करने की आशा नहीं कर सकता है। अतः आवश्यक है कि राज्य विज्ञान, कृषि, उद्योग आदि के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएँ दे। राज्य में सब प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ होनी चाहिए जिससे देश के युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

(ii) **सांस्कृतिक प्रशिक्षण** (Cultural Training)—सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः राज्य को अजायबघरों, चित्रशालाओं, सांस्कृतिक सोसाइटियों, क्लबों, मनोरंजन हॉल आदि की स्थापना। इनके साथ ही राज्य को सांस्कृतिक मण्डलों, सांस्कृतिक भ्रमणों, सामुदायिक केन्द्रों आदि को उदार आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

(iii) **सामाजिक प्रशिक्षण** (Social Training)—राष्ट्र की प्रगति न केवल उसके विचारों से, वरन् उसके सामाजिक स्तरों से भी जानी जाती है। लोकतन्त्रीय देश को समाज और उसके सदस्यों के उत्तम विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक स्तर निश्चित करने चाहिए। यह उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकता है, जब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्तरों के लिए एक निश्चित मापदण्ड बना लिया जाए और उनमें प्रशिक्षण दिया जाए। इसके साथ ही, बालाकों को सामाजिक सम्पर्क के अवसर दिये जाएँ जिससे समाज-सेवा की भावना का विकास हो।

(iv) **राजनीतिक प्रशिक्षण** (Political Training)—प्रत्येक राष्ट्र किसी-न-किसी राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करता है। इस विचारधारा को बालकों के मस्तिष्क में बैठाने के लिए उनको राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि वे देश के

Scanned with CamScanner